राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राजस्थान जयपुर।

क्रमांकःप1(   ) निचिस्वा/विधि/सामान्य/2019/   दिनांक

समस्त संयुक्त निदेशक जोन
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान।

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
राजस्थान।

समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी
राजस्थान।

विषयः–माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में विचाराधीन सेवा सम्बन्धी एवं गैर सेवा सम्बन्धी सिविल प्रकरणों में वकालतनामा एवं जवाब प्रस्तुत करवाने की कार्रवाई सुनिश्चित करने बाबत।

उपरोक्त विषयानुसार लेख है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर में विचाराधीन सेवा सम्बन्धी ऐसे सभी सिविल प्रकरणों जिन में राज्य पक्ष की ओर से पैरवी हेतु पूर्व में श्री संजय शर्मा एवम् संजीव सिंघल राजकीय अधिवक्ता के स्थान पर सता परिवर्तन होने पर श्री हेमन्त माथुर अतिरिक्त गवर्नमेन्ट कौन्सिल की नियुक्ति की गई थी, परन्तु श्री हेमन्त माथुर का आकस्मिक निधन हो जाने के कारण वर्तमान में राज्य पक्ष की ओर से पैरवी/प्रतिरक्षा की कार्रवाई के लिए श्री विवेक त्यागी, डिप्टी गवर्नमेन्ट कौन्सिल को नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार ऐसे सभी गैर सेवा प्रकरण जिनमें पूर्व में श्री संजय शर्मा एवं श्री सजीव सिंघल अतिरिक्त गवर्नमेन्ट कौंसिल नियुक्त थें, में सत्ता परिवर्तन पश्चात वर्तमान में श्री भरत लाल सैनी, अतिरिक्त गवर्नमेन्ट कौंसिल को राज्य पक्ष की ओर से पैरवी हेतु नियुक्त किया गया है।

अतः आपके अधीनस्थ कार्यरत समस्त प्रकरण प्रभारियों को उपरोक्तानुसार सेवा प्रकरणों में श्री विवेक त्यागी, डिप्टी गवर्नमेन्ट कौन्सिल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर (मो.न. 7891405000) एवं गैर सेवा प्रकरणों में श्री भरत लाल सैनी, अतिरिक्त गवर्नमेन्ट कौंसिल (मो.न. 9414044431), राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर से सम्पूर्ण अभिलेख सहित तुरन्त सम्पर्क कर वकालतनामा प्रस्तुत करते हुए माननीय उच्च न्यायालय में जवाब प्रस्तुत करने की कार्रवाई सुनिश्चित करावें एवं की गई कार्रवाई से अधोहस्ताक्षरकर्ता को तीन दिवस में आवश्यक रूप से अवगत करावें।

इसमें किसी प्रकार की शिथिलता नहीं बरती जावें।

निदेशक (जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकःप1(   )निचिस्वा/विधि/सामान्य/2019/ 116   दिनांक 12-7-19

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन/राजपत्रित/चिकित्सा प्रशासन/आरसीएच/ग्रामीण स्वास्थ्य) मुख्यालय।
2. डॉ० संजय सक्सेना, सयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण) मुख्यालय/डॉ. शिवशंकर गौतम, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी मुख्यालय एवं स्टैण्डिंग केस प्रभारी, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर।
3. समस्त उप मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य) राजस्थान।
4. समस्त केस प्रभारी अधिकारी, निदेशालय मुख्यालय।
5. श्री भरत लाल सैनी, राजकीय अधिवक्ता राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर।
6. श्री विवेक त्यागी डिप्टी गवर्नमेन्ट कौन्सिल राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर।
7. प्रभारी सर्वर रूम को भेज कर लेख है कि पत्र को विभागीय साईट पर अपलोड करें।

निदेशक (जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।